फाईल नं0-23-9002(002)/4/2023
संख्या-26/2023/308/23-9-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2023

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत 10 मार्गों के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं-1823/(02-1)/समग्र वृत्त/2022-23, दिनांक 15.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों के नवनिर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 17,60,32,000/- (रूपये सत्रह करोड़ साठ लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,49,31,000/- (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	जनपद	कलस्टर का नाम	विधान सभा	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनभद्र	कोदई कलस्टर	राबर्ट्सगंज	कोदई कलस्टर के अन्तर्गत नई बाजार- निशोगी- मऊकलां- विजयगढ़ दुर्ग होते हुए अमिलाधाम मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 19 से कोदई गोंड़ बस्ती (मुरैला) सम्पर्क मार्ग	2.50	229.92	32.56
2	सोनभद्र	कोदई कलस्टर	राबर्ट्सगंज	कोदई कलस्टर के अन्तर्गत नई भदई अरार सम्पर्क मार्ग (पी0एम0 जी0एस0वाई0) के किमी0 26 से बाए खरवार चेरों बस्ती होते हुए मछन्दर बाबा (पल्हारी) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	280.85	39.77
3	सोनभद्र	कोदई कलस्टर	राबर्ट्सगंज	कोदई कलस्टर के अन्तर्गत मरकुड़ी बघमा मार्ग के किमी0 2 से दायी तरफ प्राथमिक विद्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र से चेरूई गोंड़ बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	3.40	292.64	41.44
4	सोनभद्र	कोदई कलस्टर	राबर्ट्सगंज	कोदई कलस्टर के अन्तर्गत नई भदई अरार सम्पर्क मार्ग (पी0एम0 जी0एस0वाई0) के किमी0 28 से बाए पल्हारी में गोंड़ बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	3.40	313.11	44.34
5	सोनभद्र	कोदई कलस्टर	राबर्ट्सगंज	कोदई कलस्टर के अन्तर्गत चेरूई में राजकीय हाईस्कूल होते हुए चेरो बैगा बस्ती मरकुड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.70	174.86	24.76
6	महोबा	श्रीनगर कलस्टर	महोबा	ग्राम पंचायत बर्रा में कानपुर सागर मार्ग (एन0एच0-86) के किमी0-180) से मिनी स्टेडियम तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	0.69	78.33	11.09
7	मीरजापुर	पटेहरा कलां कलस्टर	मडिहान	कोटवा सिरसी मार्ग से विकलांग स्कूल सुपर स्पेशिलिटी सेंटर होते हुए आजादपुर से पटेहराकला सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	115.14	16.30
8	बागपत	सिलाना	बागपत	ग्राम सिलाना से हलालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	1.72	72.99	10.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	जनपद	कलस्टर का नाम	विधान सभा	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		कलस्टर					
9	लखनऊ	जुगौर कलस्टर	बी0के0टी0	दयाराम पुरवा से घुरूपुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	0.65	121.12	17.15
10	लखनऊ	जुगौर कलस्टर	बी0के0टी0	जुग्गौर सम्पर्क मार्ग से नरेन्द्रीय बेलवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	0.41	81.36	11.56
	योग					**1760.32**	**249.31**

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तवित रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

(9) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-समय में ही पूर्ण हो जाये।

(13) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किय गया है। अत: भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्राशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अत: प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(15) विभाग द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी0-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(17) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,49,31,000 (रुपये दो करोड़ उनचास लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371350 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण / चौडीकरण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-489-X-2022-23, दिनांक 30-01-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य् विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in